दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

श्रीमती ऊषा बतरा पत्नि श्री किशनलाल बतरा, पंजाबी,

निवासीआसफाबाद{ईदगाह} इटारसी तहसील इटारसी

जिला होशंगाबाद. ------- अपीलार्थी

अपील/96-PBR-16

बनाम

1/गुलाब राय वल्द श्री सरदार सिंह{मृत}

अ/ हरवंश लाल

ब/ जोगेन्दरलाल,

स/ हरमिन्दर सिंह,

द/ जगदीश कुमार,

ई/ शोभावन्ती

फ/ लाजोरानी,

ज/ प्रीतम कौर , सभी आ. स्व. गुलाबराय सभी निवासी गुरूनानक स्कूल के पास पंजाबी मोहल्ला इटारसी तहसील इटारसी,

जिला होशंगाबाद. ------ उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू राजस्व संहिता.

अपीलार्थीगण यह अपील माननीय आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 225/अपील/2012-13 ऊषा बतरा बनाम गुलाबराय वअन्य में पारितआदेश दिनांक 29.10.15 से व्यथित एवं असंतुष्ट होकरनिम्न तथ्यों व आधारों परप्रस्तुत करताहै।

अपील के संक्षिप्ततथ्य एवं आधार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 196–पीबीआर/16 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–1–2016	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 29–10–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है । म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में तृतीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है । अतः यह अपील विधि विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	